मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 341-45
भोपाल, दिनांक 24/3/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 874 / 2018

अनावेदक :–

M/s Gurukripa Enterprises, 306, Shyam Nagar, NX-A, Near M.R. 10 Road, Indore- 452001

विरूद्ध अनावेदकः–

1. **M/s Jie Lian Mobile India Pvt. Ltd., (Vivo) 108, 1st Floor, Satguru Parinay Builing, Opp. C-21 Mall, A.B. Road, Plot No. 5, Scheme No. 54, Indore- 452008**
2. **Mr. Shefang Phoo, Director, M/s Jie Lian Mobile India Pvt. Ltd. (Vivo) 108, 1st Floor, Satguru Parinay Builing, Opp. C- 21 Mall, A.B. Road, Plot No. 5, Scheme No. 54, Indore-452008**
3. **Smt. Kaiti, Branding Head, M/s Jie Lian Mobile India Pvt. Ltd., (Vivo) 108, 1st Floor, Satguru Parinay Builing, Opp. C- 21 Mall, A.B. Road, Plot No. 5, Scheme No. 54, Indore-452008**
4. **Shri Girish Yadi, Senior Advertising Executive, M/s Jie Lian Mobile India Pvt. Ltd., (Vivo) 108, 1st Floor, Satguru Parinay Builing, Opp. C- 21 Mall, A.B. Road, Plot No. 5, Scheme No. 54, Indore- 452008**

माध्यस्थम आदेश दिनांक :– 24 मार्च 2021

1. काउंसिल के समक्ष आवेदक मेसर्स गुरु कृपा इंटरप्राईजेस, इंदौर द्वारा एमएमएमई एक्ट 2006 की धारा 20 सहपठित् धारा 30 के अधीन अनावेदक मेसर्स जीलिआन मोबाईल इण्डिया प्रा0लि0, इंदौर के विरूद्ध मूलधन राशि रूपये 11,48,696/– एवं ब्याज राशि 2,44,122/– रूपये तथा कुल भुगतान राशि 13,92,818/– वसूली हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2018 को प्रस्तुत किया गया।

..........2

6-ोद

2. काउन्सिल द्वारा प्रकरण को एम.एस.ई.एफ.सी / 874 / 2018 पर दर्ज कर अनावेदक को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस क्रमांक 4866–4867, दिनांक 24.11.2018 को जारी किया गया।

3. प्रकरण, सुनवाई दिनांक 16.03.2021 को काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

4. प्रकरण में आवेदक मेसर्स गुरु कृपा इंटरप्राईजेस, इंदौर द्वारा सुनवाई दिनांक 16.03.2021 को उपस्थित होकर अवगत कराया कि 23.01.2021 को उभयपक्षों के बीच समझौता हो गया है। अतः मेरा प्रकरण समाप्त करने की कृपा करे। अनावेदक मेसर्स जीलिआन मोबाईल इण्डिया प्रा०लि०, इंदौर द्वारा समझौता की पुष्टि की गई। आवेदक की सहमति के आधार पर प्रकरण समाप्त किया गया।

5. अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य उपरोक्तानुसार समझौता होकर, प्रकरण निराकृत होने से, एतद् द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. भिंज) 24/12/21
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।